न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 33/2025 (GCMS 2025/49)

अपीलांट **बनाम** **रेस्पोडेण्टगण**

1. अब्दुल रहमान पुत्र फूसे खान जाति मुसलमान निवासी करीम की ढाणी, थाट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

1. गागन खां मेहर अधिवक्ता अपीलांट
2. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

दिनांकः– 11.03.2026

–::निर्णय::–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरिरूद्ध तहसीलदार पोकरण द्वारा मुकदमा संख्या 53/2025 राजस्थान सरकार बनाम गफूर खान अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2025

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी केलावा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम थाट के खसरा संख्या 18 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करनने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पोकरण के समक्ष प्रस्तुत की कई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पोकरण द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 53/2025 अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 23.09.2025 को निर्णय पारित कर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित कर लगान दर रूपये 0.10/– प्रति बीघा से कुल 01 रूपये का का पचास गुणा 50/– रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध त्वरित गति से कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट का कब्जा अपने खेत में बनी ढाणी में हैं, जो गावं थाट में आई हुई है। अपीलांट की ढाणी व उसके खेत की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पैमाइश नहीं करवाई गई है और न ही कोई नेखमबंदी करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से अपने खातेदारी खेत में बनी ढाणी में परिवार सहित निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलंट द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

अपीलांट ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर दिनांक 23.09.2025 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए मनगढत आधारों पर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 33/2025 (GCMS 2025/49)

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांट अनुपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से राज पैरोकार (नायब तहसीलदार) उपस्थित। राजपैराकार को सुना गया। राज पैरोकार के द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट के द्वारा ग्राम थाट के खसरा नम्बर 18 रकबा 7.9156 हैक्टेयर किस्म गै.मु. आगोर में से 120 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोडेण्ट तहसीलदार पोकरण द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। रेस्पोडेण्ट द्वारा म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर कोई आपति नहीं की गई।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपील अपीलांट अम्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का विनिश्चय किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांट का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। **अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है।** उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर,
जैसलमेर